

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) का कार्यालय

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कार्यालय आदेश - 52

का0आ0-प्र0 3/एम0-14/2010

पटना, दिनांक 20/3/25

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 दिनांक 25.06.2003 से निर्गत बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली-2003 तथा संकल्प सं0-7566 दिनांक-14.07.2010 एम0ए0सी0पी0 नियमावली-2010 के अधीन दिनांक-29.01.2025 को आयोजित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के अनुरूप सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए0सी0पी0) नियमावली 2003 के प्रावधानों के तहत विभागीय कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) सम्बर्ग (वेतनमान रू0 5000-8000/- अथवा वेतन स्तर-7) के निम्नलिखित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना की प्रभावी तिथि-09.08.1999 के आलोक में 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (प्रथम वृत्ति उन्नयन-अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 6500-10500/- एवं द्वितीय वृत्ति उन्नयन-अपुनरीक्षित वेतनमान रुपये 10000-15200/-) तथा एम0ए0सी0पी0 नियमावली 2010 के प्रावधान के तहत एम0ए0सी0पी0 के प्रभावी तिथि 01.01.2009 के आलोक में 10 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के तिथि से प्रथम, 20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय तथा 30 वर्षों की सेवा पूरी करने की तिथि से तृतीय एम0ए0सी0पी0 स्वीकृत किया जाता है।

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक /16	वरीयता क्रमांक /09	वरीयता क्रमांक /03	नाम	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 6500-10,500	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष) अपुनरीक्षित वेतनमान रू0 10,000-15,200	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष) वेतन बैंड PB-2 ग्रेड पे 4600/- अथवा वेतन स्तर-8	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (20 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 5400/- अथवा वेतन स्तर-9 अथवा वेतन स्तर-11	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (30 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 7600/- अथवा वित्त विभागीय परिपत्र सं0-8892 दि0-14.11.17 के आलोक में वेतन स्तर-12	स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		1957	2247	अजय कुमार पाण्डेय दिनांक-30.11.20 को सेवानिवृत्त सी0डब्ल्यू0जे0सी0पी0-23 41/2022	21-11-1960	16-01-1988	366 12.01.09 द्वारा 16.01.2000 के प्रभाव से			229 27.12.2017 द्वारा 01.01.2009 के प्रभाव से	16-01-2018	दिनांक-16.01.2018 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत।
2		1988	2279	देवेन्द्र प्रसाद चौरसिया सेवानिवृत्त दिनांक-28.02.21	24-02-1961	11-01-1988	380 14.12.2009 द्वारा 11.01.2000 के प्रभाव से			229 27.12.2017 द्वारा 01.01.2009 के प्रभाव से	11-01-2018	दिनांक-11.01.2018 से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत।
3	344	3294		विश्वपाल	10-12-1971	30-03-2007			30-03-2017			दिनांक-30.03.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
4	357	3323		अविनाश कुमार शर्मा	01-01-1979	13-04-2007			13-04-2017			दिनांक-13.04.2017 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।

Handwritten signature/initials.

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक / 16	वरीयता क्रमांक / 09	वरीयता क्रमांक / 03	नाम	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) अपुनरिक्षित वेतनमान 6500-10,500 ₹	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष) अपुनरिक्षित वेतनमान 10,000-15,200 ₹	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष) वेतन बैंड PB-2 ग्रेड पे 4600/- अथवा वेतन स्तर-8	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (20 वर्ष) वेतन बैंड PB- 3 ग्रेड पे 5400/- अथवा वेतन स्तर-9 अथवा वेतन स्तर-11	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (30 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 7800/-अथवा वित्त विभागीय परिपत्र सं०-8892 दि०-14.11.17 के आलोक में वेतन स्तर-12	रक्रीमिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में विभागीय निर्णय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	229	3020	3570	सुनील कुमार शर्मा	02-06-1970	31-03-1999			112 25.01.2018 द्वारा 31.03.2009 के प्रभाव से	31-03-2019		दिनांक-31.03.2019 के प्रभाव से द्वितीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-09 में स्वीकृत।
6	390			सूर्य कान्त सिंह	05-07-1971	21-03-2014			21-03-2024			दिनांक-21.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
7	417			प्रतिमा कुमारी	18-06-1979	04-03-2014			04-03-2024			दिनांक-04.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
8	427			रीना कुमारी	10-09-1971	04-03-2014			04-03-2024			दिनांक-04.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
9	401			रघुनाथ राय	04-03-1972	05.03.2014			05-03-2024			दिनांक-05.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
10	99	2373	3014	रेयाजुल हक अंसारी दिनांक-31.01.2023 को सेवानिवृत्त	22-01-1963	20-02-1988	283 07.09.2009 द्वारा 20.02.2000 के प्रभाव से		229 27.12.2017 द्वारा 01.01.2009 के प्रभाव से		20-02-2018	दिनांक-20.02.2018 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत।
11	435			विनोद कुमार	05-03-1968	10-09-2012			10-09-2022			संस्थित दंड का प्रभाव दिनांक-30.06.2023 तक प्रभावी रहने के कारण दिनांक-01.07. 2023 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
12	425			निधिलेश कुमार मंडल	04-01-1982	13-03-2014			13-03-2024			दिनांक-13.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
13	454			अमरेंद्र कुमार	15-10-1974	03-10-2012			03-10-2022			दिनांक-03.10.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
14	412			नीरज कुमार भारती	26-11-1976	03-05-2014			03-05-2024			दिनांक-03.05.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
15	411			अरुण कुमार	24-03-1982	05-03-2014			05-03-2024			दिनांक-05.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
16	388			अमित सिंह	05-05-1980	05-03-2014			05-03-2024			दिनांक-05.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
17	26 (2014)			श्री अश्विनी अनमोल	15-01-1981	12-10-2012			12-10-2022			दिनांक-12.10.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
18	391			सुबोध कुमार	21-01-1982	25-04-2014			25-04-2024			दिनांक-25.04.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
19	392			अश्विनी कुमार सुमन	06-06-1977	25-03-2014			25-03-2024			दिनांक-25.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।

क्रम सं०	वरीयता क्रमांक /16	वरीयता क्रमांक /09	वरीयता क्रमांक /03	नाम	जन्म तिथि	योगदान की तिथि	प्रथम सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (12 वर्ष) अपुनशिक्षित वेतनमान 6500-10,500 रु०	द्वितीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (24 वर्ष) अपुनशिक्षित वेतनमान 10,000-15,200 रु०	प्रथम रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (10 वर्ष) वेतन बैंड PB-2 ग्रेड पे 4600/- अथवा वेतन स्तर-8	द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (20 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 5400/- अथवा वेतन स्तर-9 अथवा वेतन स्तर-11	तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (30 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 7600/- अथवा वेतन स्तर-10 अथवा वेतन स्तर-12	रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की देय तिथि (01.01.2009 या उसके बाद) (30 वर्ष) वेतन बैंड PB-3 ग्रेड पे 7600/- अथवा वेतन स्तर-10 अथवा वेतन स्तर-12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20			1245	वितरंजन चौधरी दिनांक-30.06.2009 को सेवानिवृत्त।	01-07-1949	12-07-1973		23 12.01.2010 द्वारा 09.08.1999 के प्रभाव से			01-01-2009	दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-12 में स्वीकृत।
21	394			अशोक कुमार	01-05-1979	12-03-2014			12-03-2024			दिनांक-12.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
22	437			राम विनय कुमार	05-01-1967	10-09-2012			10-09-2022			दिनांक-10.09.2022 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
23	423			मोशरफ ताज	09-02-1983	19-03-2014			19-03-2024			दिनांक-19.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
24	424			बिपिन बिहारी कुमार विकल	15-10-1984	10-03-2014			10-03-2024			दिनांक-10.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
25	416			हरिवंश राय बच्चन	05-06-1975	03-03-2014			03-03-2024			दिनांक-03.03.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।
26	395			रितेश कुमार	01-01-1983	27-05-2014			27-05-2024			दिनांक-27.05.2024 के प्रभाव से प्रथम एम0ए0सी0पी0 वेतन स्तर-8 में स्वीकृत।

2. भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्म को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं उन्हें भुगतान की गई राशि/अंतर राशि की वसूली कर ली जायेगी।

3. यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

4. नियंत्री पदाधिकारी वेतन निर्धारण एवं देय लाभों के भुगतान के पूर्व उनके सेवापुस्त की सम्यक जाँच कर लेंगे एवं जाँचोपरांत स्वीकृत लाभों में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य (यथा निर्धारित सेवा अवधि में टूट, निलंबन, बर्खास्तगी, दंडादेश जो सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन को प्रभावित करता हो) पाया गया तो नियमानुकूल अपेक्षित कार्रवाई करते हुए विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

5. जिन कर्मियों की सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण पूर्व में नहीं हुआ है एवं सेवापुस्त में अंकित नहीं है, उन्हें सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत वित्तीय उन्नयन का निर्धारण पूर्व सेवा संपुष्टि/स्थायीकरण संबंधित मामला विभाग को भेजा जाय। स्थायीकरण/सेवा संपुष्टि के पश्चात् ही वेतन निर्धारण संबंधी कार्रवाई की जाय।

6. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप कर्म का वेतन नियतिकरण सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली के नियम-8 के अनुसार किया जाना है। वेतन नियतन मौलिक नियमावली के नियम - 22 (i) (A) (i) के प्रावधानों के अनुसार होगा। वेतन निर्धारण के क्रम में नियंत्री/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस बिन्दु पर पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि उक्त नियमावली के नियम - 8 के प्रावधानों का अनुपालन पूरी तरह हो रहा है।

7. वित्तीय उन्नयन की देय तिथि के पूर्व पदत्याग/मृत/सेवा निवृत्त/बर्खास्त (न्यायालयीय आदेश से सेवा में पुनः बने रहने संबंधी आदेश को छोड़कर) एवं वर्तमान से निलंबित अभियंताओं के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं होगा।

(क) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के पूर्व सहायक अभियंता के रूप में नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गयी है, उन्हें प्रथम वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

(ख) वैसे कनीय अभियंता, जिन्हें देय तिथि से पूर्व कार्यपालक अभियंता के पद पर नियमित प्रोन्नति प्राप्त हो गई है, को द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय नहीं होगा।

8. उप अधिदर्शक/सर्वेयर आदि पदों से कनीय अभियंता के पद पर प्रोन्नत कर्मियों का मामला प्रकाश में आने पर वैसे कर्मियों की सेवापुस्त के साथ पूरे मामले को विभाग में उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त करने के पश्चात ही अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र० 3/एम०-14/2010

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-महालेखाकर, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक-एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र० 3/एम०-14/2010

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र० 3/एम०-14/2010

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि-अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव के आप्त सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय) का कोषांग, पथ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार, पटना/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता, पथ, निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित अधीक्षण अभियंता, पथ, निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ, निर्माण विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 6 एवं 13/14 तथा लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कनीय अभियंताओं (असैनिक/यांत्रिक) को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कार्यपालक अभियंता (असैनिक/यांत्रिक)/नियंत्री पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे संबंधित कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के अभिलेख से उनके योगदान की तिथि एवं सेवा से संबंधित आवश्यक जाँच कर वेतन निर्धारण एवं अग्रेतर कार्रवाई करेंगे।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र० 3/एम०-14/2010

1736(E)

पटना, दिनांक..... 20/3/25

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/3/25

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।